संख्या- 05/2024/388/2024/001-765-2024

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

परियोजना समन्वयक,

प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट,यूपीडास्प,

चतुर्थ तल, पिकप भवन, विभूति खण्ड,

गोमती नगर, लखनऊ।

समन्वय अनुभाग लखनऊ : दिनांक 17 दिसंबर,2024

विषयः-उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राईज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (यू०पी०एग्रीज) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-109-97-9702 के मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से धनराशि निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक तकनीकी समन्वयक,प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1061/415/यूपीएग्रीज/बजट/वि.एवं ले./2024-25 दिनांक 30 नवम्बर,2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राईज इकोसिस्टम (यू०पी०एग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म, 109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-97-वाह्य सहायतित परियोजनायें-9702-यू०पी०एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राईज इकोसिस्टम (यू०पी०एग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू० 16000.00 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू.4000.00 लाख (रूपये चालीस करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

1-स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय अनुमोदित कार्ययोजना एवं योजना हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा तथा व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वितीय वर्ष 2024-25 में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

3-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों/कार्यो में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

4-पी.सी.यू.यूपीडास्प द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

5-अवमुक्त धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा तक ही किया जायेगा।

6-अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

7-अनुमोदित धनराशि यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिससे ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा करायी जायेगी।

8-प्रस्ताव में आंकडो की शुद्धता का दायित्व यू.पी.डास्प का होगा।

9-प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह यू. पी. डास्प का उत्तरदायित्व होगा।

10-जिन मामलों में उ.प्र. बजट मैनुअल और वितीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

11- वित्तीय स्वीकृति जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व यू. पी. डास्प के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी सपष्ट किया जाता है कि प्रशनगत धनराशि विभागाध्यक्ष/अन्य नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

12-व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13-स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 तथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 19.06.2024 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,00,00,000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र) को

चालू वितीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2401001099702 यू.पी.एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इन्टरप्राइज इकोसिस्टम(यूपी एग्रीज) परियोजना (विश्व बैंक सहायतित) मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-1-244-X-2024-25-दिनांक:16-12-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by
Kamta Prasad Singh
(कामता प्रसाद सिंह)
Date: 17-12-2024 12:23:59
संयुक्त सचिव

संख्या- 06 /2024/388/2024 /001-765 2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज ।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज ।

3-अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।

4-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1/2 उत्तर प्रदेश शासन।

6-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

7-कृषि अनुभाग-3/5,उत्तर प्रदेश शासन।

8-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव

THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

December 13, 2024

Ms. Manisha Sinha
Additional Secretary (OMI, Crypto and FB)
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance
Government of India
North Block
New Delhi – 110 001

Mr. Manoj Kumar Singh
Chief Secretary
Government of Uttar Pradesh
101, 'B' Block, Lok Bhawan
Secretariat
Lucknow – 226001

Dear Ms. Sinha and Mr. Singh:

India: Uttar Pradesh Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Strengthening Project (Loan No. 9757-IN) Board Approval

I am pleased to inform you that the Board of Executive Directors of the International Bank for Reconstruction and Development approved on December 12, 2024, a loan in the amount of US$325.10 million for the above-mentioned Project. Congratulations to all who have worked on the preparation of this Project.

I look forward to an early signing and effectiveness of the legal agreements. Please refer to Loan No. 9757-IN, in all future correspondence relating to the Project.

For any additional information, please do not hesitate to contact Mr. Vinayak Ghatate (vghatate@worldbank.org), Mr. Andrew Goodland (agoodland@worldbank.org) or Mr. Harsh Jhanjaria (hjhanjaria@worldbank.org).

Yours sincerely,

Auguste Tano Kouame
Country Director, India